

पत्रावली पेश हुई। तदनुसार सूत्रागद की रिपोर्ट के
आधार पर प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम
चाहलहर के खाता सं. 93/95 में प्रार्थी का नाम
रघुवीरदास के स्थान पर "रघुवीर" तथा पिता का
नाम इमीयल के स्थान पर "अमीयल" लिखा जाये।
शेष अंक यथापद रहें।

GAMS
2025/463

4573
16/07/2024

आदेश सुनाया गया

① नोटिफिकेशन :- तदनुसार
सूत्रागद के पत्रावली



उप खण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)